न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/117 दायरा दिनांक : 21.07.2023

उनवान

श्यामलाल आत्मज श्री भैरूलाल, आयु 22 वर्ष, जाति भील निवासी सामरिया तहसील सुनेल जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– मांगीलाल आत्मज कंवरलाल, जाति भील निवासी सामरिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ (राज0)
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सुनेल

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री राकेश कुमार जैन एवं श्री सुरेश नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री फिरोज अहमद अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 78/2022/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 24.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 रूल 1 व 2 तथा धारा 151 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खाता संख्या 107/43 जमाबंदी सम्वत 1980, 1981 ईस्वी सन् 1923–24 के अनुसार ग्राम सामरिया परगना सुनेल, जिला भानपुरा रियासत इन्दौर का खातेदार किसान घीसा वल्द लिम्बा भील दर्ज रहा है। जिसकी खातेदारी में कुल खसरा 12 कुल रकबा 12 एकड़ 10 डिसमिल आराजी का खातेदार रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने आदेश दिनांक 24.01.2023 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि जैर अपील आदेश पत्र संग्रहसार एवं प्रस्तुत दस्तावेज के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट द्वारा पेश साक्ष्य का सही मूल्याकंन नहीं किया है। अपीलांट पिछले लगभग 80 वर्षों से काबिज होने पर भी इस तथ्य को नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया गया है। इस कारण जैरकार अपील आदेश निरस्त होने योग्य है। विवादित खाता संख्या 325 कुल खसरा किता 15 कुल रकबा 8.1189 हेक्टर भूमि में 1/2 का 1/2 अर्थात् 1/4 पर कब्जा अपीलांट का है जिसको साबित करने के लिए अपीलांट ने गवाहान के शपथ पत्र पेश किये हैं। गवाहान

29/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी के पड़ोसी खातेदार हैं तथा परिवार के सदस्य भी शपथ पत्र प्रस्तुत में शामिल हैं। अपीलांट ने काश्त एवं फसल के भी फोटोग्राफ भी पेश किये हैं जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य, शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं जिनको अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं मानकर कानूनन भारी भूल की है। इस कारण जेरकार अपील आदेश निरस्त होने योग्य है। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक तत्वों प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपरिमित क्षति के बिन्दुओं का आकलन सही नहीं किया और ना ही इस बारे में अपने आदेश में ऐसा कोई उल्लेख किया है। इस कारण जेरकार अपील आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 नियम 09 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर वर्णित आराजी की मौका रिपोर्ट कब्जा अनुसार हल्का पटवारी से तलब किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा किया गया जो अनुचित है। अपीलांट को उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय का भी ज्ञान नहीं हुआ तथा निर्णय के विरूद्ध विधि में मिले अपील के अधिकारों का हनन हुआ है। इस कारण भी जैरकार अपील निर्णय आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2023 निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.03.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का लगभग 80 वर्षों से कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपने कब्जे को साबित करने बाबत गवाहान के शपथ पत्र, आराजी के पड़ोसी खातेदार हैं तथा परिवार के सदस्य के भी शपथ पत्र पेश किये हैं। अपीलांट ने काश्त एवं फसल के भी फोटोग्राफ भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अतः अपीलांट ने अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट

29/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

होता है कि वादी अपीलांट द्वारा निरन्तर कब्जे एवं पारिवारिक बंटवारे के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है। प्रकरण में विवादित आराजी का अप्रार्थी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि खातेदारान के हितों का निर्धारण मूल वाद में होना है। खातेदार शब्द के साथ कब्जे की उपधारणा की जाती है जब तक इसे अन्यथा सिद्ध नहीं किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी, जिससे प्रार्थी का कब्जा या पारिवारिक बंटवारे में भूमि प्राप्त होना सिद्ध हो। रेस्पोडेंट रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तत्व रेस्पोडेंट के पक्ष में होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधि सम्मत होना प्रकट होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा